(Secretary General) and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose herewith tht Appropriation (No. 4) Bill, 1983, as passed by Lok Sabha at its sitting 'held on the 16th Aungust, 1983.

2 The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

Sir, I lay the Bill on the Table.

## MOTION FOR ELECTION TO THE INDIAN COUNCIL OF AGRICUL-TURAL RESEARCH SOCIETY

THE MINISTER OF AGRICULTURE (RAO BIRENDRA SINGH): Mr. Deputy Chairman, I beg to move—

"That in pursuance to rule 4 (vii) of the Rules of the Indian Council of Agricultural Research Society, this House do proceed to elect in such manner as the Chairman may direct, one member from along the members of the House to be a member of the Indian Council of Agricultural Research Society."

The question was put and the motion was adopted.

## THE DELHI MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) BILL, 1983

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI I Z. R. ANSARI): Sir, I move—

"That the Bill further to amend the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962, as passed by the Lok Saba, be taken Into consideration."

As the honourable Members arc-aware, motor veh'cles taxes are ievied and collected by the respective State Governments and Union Territories. In the case of Delhi the legislation is to be

passed by Parliament. Delhi Administration has propased "revision in the rates specified in Scheduled I ^o the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962, as amended in 1969. The rates of taxes had not revised for the last Pbout 13 years. While the present ra; 'es of taxes are quite low which have remained static for the last 13 years, there has been enormous increase in the cost of maintenance, construction and development of roads to meet the increasing traffic demands. In terms of the Delhi Motor Vehicles Taxation Act. 1962, the revenues realised through motor vehicles taxes are utilise.] ior maintenance of roads. During the i<\*st decade, there has also been a phenomenal growth in the vehicles population of Delhi. As against two akhs vehicles in 1971-72, the present figure is about 6.60 lakhs. To meet the increasing cost of maintenance of roads and to cater to the growing vehicles population, it is necessary tha the e-venues are enhanced. Besides this, the present tax rates Delhi have been found to be very low as compared to that tax rates in neighbouring States. To facilitate proper movement of inter-State operations, appropriate parity in the tax rates among the States is required lest the disparities should lead to distortion of vehicles getting registered in the low rate States, Union Territories and plying at other places.

The two important provisions of the B 11 are the revision of tax rates ml simplification of the procedure for the revision of tax rates in future

As far as revision of tax rates is K>Qcerned, the Bill envisages an ave-age, increase in the rates by abo'it 25 per cent over the existing rates. The im portant fact to be noticed i hat certain types of vehicles are fully ex cluded from the proposed increase. These are motor cycles, scooters, scooter autorickshaws and rettes Members will appreciate that this has been d~ne consciously to^ensure ',,he comparatively weaker sections of society are not at all put to any addi tional burden. Even in respect of Mrs and jeeps, the increase is graduated

one. cars and jeeps only with high registered laden weight such as two tonnes are subject to increase of 32 per cent on existing tax rates. Such cars are imported ones and are normally used by affluent persons.

The tax rates on buses are by and large upgraded in tune with the increase in their maximum seating capacity. Additional revenues as a result of this increase in the tax rates is estimated to be of the order of Rs. 1.50 crores only.

With regard to procedure, the amendment introduced through the present Bill is to empower Delhi Administration to revise tax rates to the extent of 25 percent without reference to Parliament subject, however, to the con ition that the notification issued in exercise of the power would be placed cefor\*. the Parliament within the prescribed time limit and also subject to the condition thatif a resolutio disapproving the increase is passed by the two Houses of Parliament, the increacw.uld cease to operate. The proposed amendment is only to facilities timely action in a situation of rapidly rising costs and in appreciation of the ne by the local administration for suitable changes. The proposed measures are designed to subserve the interest of improvement of service in respect of imaintenance of roads and of transport operations in the Union territory of Delhi. I request that these amendments may be passed.

With these words, Sir, move the motion that the Bill may kindly be taken to consideration. Thank you Sir.

The question was proposed.

SHW SHIVA CHANDRA JHA (Bihar): Sir, I beg to move;

"That the Bill further to amend the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following membes

- 1. Shri R. R. Morarka
- 2. Shri Biswa Goswami
- 3. Shri Shridhar Wasudeo Dhabe
- 4. Shri G. C. Bhattacharjii
- 5. Prof. Sourendra Bhattacharjee
- 6. Shri Suraj Prasad
- 7. Shri Rameshwar Singh
- 8. Shri Hari Shankar Bhabhra
- 9. Shri Kalraj Mishra
- 10. Shri Napaldev Bhattacharya
- 11 Shri Dipen Ghosh
- 12. Shrimati Mohinder Kaur
- 13. Shri Shiva Chandra Jha

with instructions to report within a week."

SHRI SURAJ PRASAD (Bihar): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Delhi Motor Vehicles Taxation Act, 1962, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members, namely:—

- 1. Shri Dipen Ghosh
- 2. Shri Shiva Chandra Jha
- 3. Shri Shridhar Wasudeo Dhabe
- 4. Shri Rameshwar Singh
- 5. Shrimati Usha Malhetra
- 6 Shri Jagdish Prasad Mathur
- 7. Shri Ramanand Yadav
- 8. Shi Suraj Prasad

with instructions to report within a week."

The question were proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I would like to inform the Members that the time allotted for discussion on this Bill is one hour. We can take half-hour before lunch and half-hour thereafter. I would also request the honourable Members to be very brief and very relevant in their observations on this Bill. Yes, Mr. Surendra Mehan

श्री सुरेन्द्र मोहन (उत्तर प्रदेश) : उपसमापति महोदग, आप को एक निश्चित मीति अपनानी चाहिए इस रोड टैन : के बारे में । जो मोटर या रोड टैन 3 दिल्लों में है वहों मध्य प्रधेश में होना चाहिए, वहां उत्तर प्रदेश में होना चाहिए और वहाँ बिहार में होना चाहिए। अर्थ यह है कि इस टैंक्स में एक यूनिफामिटो होतो चाहिए। वरना जसे आज हम यह कह रहे हैं कि दिल्लो में 13 वर्ष के बाद हम यह टैन्स बढ़ा रहे है स्रीर इस को 25 प्रतिशा वड़ा रहे हैं इस लिये कि हमको लगा कि हरियाणा वगैरह से यहां काफो कम टैंक्स है। यह ठोक हैं लेकिन इस तरह से एडहांक डिसं।जन लेना ठीक नहीं होगा। इसो तरह से ग्रापने इस में प्राविजन किया है कि प्रशासक को अधिकार होगा कि वह 25 प्रतिशत तक टैक्त कमो भी बढ़ा सकता है। तो ऐसा नहों होना चाहिए कि उस की देखा देखो य ० पो० में भो टैक्स बढ़ा दिया जाय और फिर बिहार में बढ़ादिया जाय । ग्रीर इस लिये मेरा सझाव है कि एक युनिफार्म तरोके से हम को रोड टैनन के संबंध में सोचना चाहिए।

दूसरी बात में यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली की सड़कों को जो हालत है वह सबको मालूम है। उनके संबंध में बुछ कहना जरूरी नहीं है। मुझ को यह डर है कि आप 150 करोड़ रूपया रियलाइन करा लेंगे लेकिन सड़कों की हालत जैसी 5 साल पहले थो वैसी हो बनी रहेगी। हमने देखां है कि पिछले 25 साल से सड़कों उसी हालत में हैं। तो मंत्री जो यह आश्वासन जरूर दें कि जितना रूपण वे इसके द्वारा लेंगे वह सारा रूड़कों पर ही खर्च किया जायगा भीर उनकी हालत को अच्छा गनाया जायेगा।

तोसरें जिस बात की तरफ में मंत्री जी का शान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि उन्होंने यह फैसला किया था कि 15 परसेंट लाइसेंस और पर्शमट उनको दिये जायेंगे जिनको दुवंल समुद्य का समझा जाता है। मुझे यह कहते हुये अफसोस होता है कि दिल्ला में यह स्टैच्यरी फैसला है लेकिन अमल में नहीं आता । इस और मैं मन्दी जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

धन्त में मैं यह कहना चाहता हं कि श्राज जिस तरीके से टैन्सेज का ग्रेडेशन किया गया है कहीं ऐसा न हो कि पदिलक ट्रांसपोर्ट पर ज्यादा टैक्स हो ग्रीर प्राइवेट टांधपार्ट पर कम टैक्स हो जाय। प्राईवेट दात्रपोर्ट में जैसे बसें हैं जिनका ज्याचा लोग इस्तेमाल करते है और कई बार प्राइबेट बेहिकिस्स का एक या दो लोगहो इस्तेमाल करते हैं, कार है--बैसे आपने टैंबना पर नहीं बढ़ या है. यह ग्रन्छा किया है लेकिन कारों पर टैन कम होता है और बसों पर ज्यादा होता है तो मैं समझता है कि यह नोति ऐसं है जो सहा नहीं है। अस तीरपर लाग ज्यादा जिन बेहितिहरत का इस्तेमाल करते हैं उन पर टैंक्व कम होना चाहिए ग्रीर जो बेहिकिट का धपने लिये इस्तेमाल करते हैं उन पर टैक्स ज्यादा होना चाहिए। इन मन्दो के साथ में अपनी बात सनाप्त करता है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Sukomal Sen. 1 think all will follow the example set by Shri Surendra Mohan.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Mr. Deputy Chairman. Sir, I have nothing much to say on this Bill. I have only a few comments to make.

First of all, my suggestion is that in regard to motor cycles, scooters, etc which have been excluded from the increase of tax, I feel, whatever amount of tax is levied on these motor vehicles Ks. 20, Rs. 30, Rs. 40 or Rs. 50, should he reduced further, and there should be a token licence fee on motor cycles scooters and small vehicles. This is my suggestion about (a).

About clause 4, I am afraid, this power to increase the tax by 25 per cent may be misused by the authorities. So, I think, such blanket power should not be given and there should be sdme restriction on that so that this power may be used with *more* caution. That is why I feel that this clause is not properly drafted. This should be modified so as to curtail (he arbitrariness of the authorities who are going to use this power.

Thirdly, I feel that this increase in taxation ultimately will be shifted to the common people, because we find that whenever a tax is imposed on certain items, it is shifted to the common people and it is they who suffer ultimately. Already petrol, diesel, motor parts, tyres and everything is under heavy duty. So the operators or the owners of these vehicles will shift the burden on the consumers, the common people. That is why, I feel, this proposed increase is not appropriate and it is not desirable.

Then, Sir, the object of the increased tax, as the hon. Minister has stated, is increased efficiency of services. About that I have every doubt. Whenever the Government comes up with any proposal of additional taxation, they promise increased efficiency in services. But that never happens. So, this objective, I ami afraid, would not be fulfilled. This proposed increase in taxation will also hit the common people.

That is why I object to this Bill.

डा॰ साई महाबीर (मञ्च प्रदेश) : उपसभापति जी, गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की दरों को बडी माता में बडाया जा रहा

है। मंत्री जी ने उसके लिये जो कारण वताया है वह यह है कि सडकों के रख-रखाव का खर्चा बढ़ गया है। बात सब है कि सड़कों का रख-रखाब का खर्चा बढ़ा है, स्वामाविक रूप से उसके लिये ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। लेकिन सरकार जब यह कारण बताती है कि दरों को बढ़ाने के लिये जरूरत इसलिये पड़ी कि खर्चा बढ़ गया है, तो सरकार यह भूल जाती है कि जो खर्चे बढ़ते हैं वह सरकार की किसी दूसरी गलत नीति के कारण बड़ते हैं। कुछ नीतियां आपने वनाई जिनके कारण खर्च बढ़े। उसके कारण फिर टैन: बढेंगे, फिर टैक्स बढ़ने के शारण स्कटरों और टैक्सियों के किराये तया भाड़े पर चलने वाली गाडियों, टैम्पग्नों के किरावे बढावे जायेंगे। उसमें धापको व्यापारिक बस्तएं जिनहा बाताबात करना पड़ता है उनके दान बढ़ेंगे थानी इस दुष्चक में सरकार जैसी फंसी हई है उसका कारण इंडने के बजाए सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जिन वीतियों के कारण ऐसा हो रहा है। ऐसा प्रतर धाप करते तो ग्राप जन कम्याण करते।

महोदय, द्रापने कहा कि पिछले. 10-11 सालों में गाडियां बहत गई हैं। दो लाख थीं, अप 6 लाख 60 हजार हो गई हैं। गाड़ियां बढ़ने से तो गाड़ियों से मिलने बाला टैक्स भी बहेगा रोड दैक्स का बहाना करके जाप फिर भी टैक्स बढ़ायें, यह डिच्त नहीं होगा । जैसाकि सुरेंद्र मोहन जी ने कहा है, मंत्री जी धगर सचमुच में दिल्ली की उड़कों की हालत देखें, कम से कम उन पर चलकर देखें तो पता चलेगा। लेकिन इनकी मजर तो वहां जाती है जहां पर बहे-बडे लोगों को छाने की जरूत पहती है. जैसाकि एशियाड के दिनों में नई दिल्ली के ग्रास-पास की सड़कों की ठीक बनावट उनके श्रंगार के साथ बनाये रखना ही [डा० भाई महावीर]

सरकार की सबसे बड़ी चिला रहती है। मैं भ्रापका ध्वान दिलाना चाहता हं कि जहां पसा इंस्टीटयट है, वहां से चलकर दिल्ली मिल्क स्कीम जो है वहां तक गाडी चलाकर देखें तो मालम होगा। कल मेरी एक दोस्त से बात हुई। उसने कहा कि परसों मैं वहां से जा रहा था। मजाक में ही उसने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पेट ठीच नहीं है इसलिये पैने मोना था कि खाना नहीं चाडंग नेकिन यहां गाड़ी में बैठकर इस रोड़ से जाने पर ऐसा पहलत हुआ कि अब खाला खाना पहेना। ऐसा जाता है हाजने को दहला रवने के लिये ने चड़कें ननी हुई है। मैं विक्रने 15 वानों त देन रहा है कि चना रोड़ जो दिल्ली मिहन हकीन तक जाती है उस पहल के पत्दर बड़े-बड़े गड़हे हैं, अंने नीवें हैं। फभी भी उसपर रोडी की तह बैठानार जीवा नहीं निया गया । ऐसी चढ़कें भाग दिल्ली में और भी हैं। जहां जरूरत नहीं है वहां सहकों पर नई-नई तह बैठाई जातो है और उनको और मजब्ज करने की कोशिय करते हैं। यह कीन सा समाजवाद है ? राष्ट्रपति भवन वा सरकारी मंत्रियों की कोठीवीं के पास-पास की सडकों को चमका कर रखते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हं कि उन सड़कों पर जहां आम लोग दिन-रात चलते हैं, ध्यान देना चाहिए । जब तक आप उबर ध्यान नहीं देंगे तब तक आपका यह बढ़ाने का कोई फायदा नहीं होता। एक छोटी सी चीज और कहंगा कि सेन्नेटेरियट के पास जो वस स्टैंड है अगर आप उसको जाकर देखें तो कई बरसों पहले जो फटपाय तोड़ा गया था यात्र भी वह वैसा का वैसा ट्टा हआ है। वहां पर पानी भर जाता है, पानी खड़ा हो जाता है । सचिवालय से जो कर्मचारी, घकवर निकलते हैं, संसद के सचिवाजय से रोज कर्मचारी निकलते हैं वे वहां से होशर गुजरते हैं। जहां-जहां पानी मरा होता है, गड्डे होते हैं उनसे वच कर इअर-उधर से होकर जाता पड़ता है। पटिरयों की अभी तक ठीक करने के बारे में सोचा नहीं गया है, उसको दुख्स्त करने की जरूरत नहीं समझी। आपकी नाक के नीचे, राष्ट्र-पित भवन और संसद की सावा में जो यह सड़क है, पटरी है अगर इनकी यह हालत है तो वाहर बधा हालत होगी इसका अनमान लगाया का सकता है। मेरा निवेदन है कि इन छोटी-छोटी बोजों पर हवान दिया जाए।

जडां सडकों के पास मेनहोल बनाये जाने हैं, उसके लिये जो गहदें बनाये जाते हैं उनका मनवा बहां पड़ा रहता है। इसने यह होता है कि अंबेरे भें जो ट्रेफिक चलता है उनके उस मल'बे की वजह से वहां ग्रांसर एक्सोडेंट हो जाते हैं। दो तोन साल पहले मेरे साथ भी ऐसा ही हो बुका है। एक रात को मैं स्कटर पर जा रहा था। मलवा वहां रास्ते में पड़ा हमाथा, अन्धेरा था तो उससे में टका कर गिर गया। आपसे यह निवेदन है कि जो ग्रफसर या कर्मचारी इसकाम के लिये उत्तरदायी हैं उन के खिलाफ कार्रवाह को जाए। अगर वेडम बारे में लापरवाही बरतें तो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। जिन सहकों की अब तक उपेक्षा हुई है अगर उनकी तरफ ध्यान दिया गया तो यह बढाया जाने वाला टैक्स फिर भी किसी तरह से साकारात्मक होसकेंगा। नहीं तो यह शिकायत बनी रहेगी कि पैसा बटोरा जाता रहेगा और काम कुछ होगा नहीं। ग्राप से निवेदन है कि आप इस पर सख्ती से ध्यान दें।

श्री सूरज प्रसाद : महोदय, मैं इस विल का विरोध करता हूं। विरोध इस लिये करता हूं क्योंकि पहले जो मोटर वैहिकल टेक्सेशन एक्ट 1962 था उसके अन्दर पार्लियामेंट को ही टेक्स बढ़ाने का

ग्रधिकार था । जो नया कानुन बना रहे हैं इस नये कानून के जरिये, सरकार पार्लियामेंट के अन्दर जो टेक्स बढाने का प्रस्ताव लाती थी उसको सरकार छीन कर यह पावर एडमिनिस्टेटर को देना चाहती है। इस प्रकार से पार्लियामें ट की जो कान्न बनाने की शक्ति है उस शक्ति को सरकार एडमिनिस्ट्रेटर के हाथों में केंद्रित करना चाहती है। इसलिये यह व नियादी रूप में, गलत है। पार्लियामें ट की शक्ति को संचित करना, पार्लियामेंट की पावर को प्रशासकों के हाथों में देना ग्रीर उनको मनमाने हंग से काम करने देना विल्हा रालत है। यह बात अलग है कि उनको 25 परसेंट दैवस बढाने का अधिकार है। एक साल में दो बार दैक्स बढ़ा सकते हैं । लेकिन यह जो पार्लियामेंट से छीन कर पावर एडिमिनिटेटर को दी जा रही है मैं सनशता हं यह ब्नियादी रूप में यह जो कानून बनाने का सिद्धांत है यह उसके विपरीत है। दूसरी बात मैं इस संबंध में यह कहना चाहता हं कि इस टैक्स के बढ़ने से गरीबों पर ग्रीर जो छोटे-छोटे व्हीकल्स वाले हैं उन पर भाडा या टैंक्स का बोझ नहीं बढ़ना चाहिए । लेकिन इस टैक्स के बढ़ने से दो बातें सामने ग्राती हैं। एक बात तो यह है कि इस टेक्स के बढ़ने से बसों का भाड़ा बढना और साथ-साथ माल ढोने के जो इक्स वगैरह हैं, उनको ग्राधिक टेक्स देना पडेगा। उसके जरिये से मंहगाई ग्राम तौर पर बढ़ेगी। इसका · बोझ ग्राम जनता पर पहुँगा। तीसरी बात इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हं कि पहले कान्न के अन्दर चीफ कमिशनर को पावर्स थीं और वही दिल्ली में व्ही-कल्स टेक्सेजन को देखता था। कोई दूसरा अफसर इसके लिये वहाल नहीं था। इस कान्त के जरिये सरकार चीफ अमिश्नर को हटाकर उसके स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर को रखपा चाहती है। एक नया अफस

होगा । सरकार के द्वारा जो टैक्स वसुल होगा उसका बड़ा हिस्सा एडमिनिस्ट्रेटर का जो आफिस होगा, जो कार्यालय होगा, उस पर खर्च होगा और वहां पर काम करने वाले लोगों की तन्हवाहों और भत्तों ग्रादि में खर्च हो जाएगः। इस कान्न के जरिये सरकार एक नये किस्म का आफिसर बना-कर बोझ बढ़ाना चाहती है। इस लिये मैं चाहता हं कि इस बिल का विरोध किया जा और इसको सेलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। सेलेक्ट कमेटी में इस पर सही ढंग से विचार किया जाय। सेलेक्ट कमेटी यह देखें कि कितना टैक्स बड़ना चाहिए और कितना नहीं बढना चाहिए । इन बातों पर विचार करने के बाद ही इसकी लाना चाहिए। मैं समझता हं कि इस बिल के जरिये से संसद् की पावस को संकृ चित करने का प्रयास हो रहा है यह सही तरीका नहीं है। इस लिये मैं इसका विरोध करता हैं।

थी रामचन्द्र भारद्वाच (विहार) : मान्यवर, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिये खंड़ा हुआ है। मगर इस विधेयक में संशोधन को देखते हये ऐसालगता है कि बहुत जल्दीवाजी में निर्णय लिया गया है। इसका कारण यह है कि जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि संसद का अधिकार दिल्ली प्रशासन को देने की बात हो रही है और वह भी यह नहीं कि दिल्ली प्रणासन को बराबर के अधिकार हो जाये, बल्कि उससे भी ज्यादा ग्रधिकार उसको दिए जारहे हैं। दो सबों के बीच में ग्रार्डिनेंस जैसी चीज जारी करने की बात इसमें हो रही है। दो सतों के बीच में दिल्ली प्रशासन ग्रपनी इच्छा से जितना प्रतिः शत चाहे और अधिक से अधिक 25 प्रतिशत तक दैक्स बढा सकता है। उसके बाद सदन को सूचना दे दी जायेगी। अगर सदन की महर लग गई तो ठीक है और यदि संसद् के दोनों सदन उसको ग्रस्वी-

## श्री रामचन्द्र भारद्वाजी

कार कर दें तो वह नाकामयाब होजायेगा, निरस्त हो जायेगा। मगर उस बीच में जो टैक्स वसूल कर लिया जायेगा वह जायज होगा या नाजायज होगा, इसका कुछ पता नहीं है। फाइनल अधिकार सदन को है तो दिल्ली प्रशासन बीच में जो टैक्स वसूल कर चका होगा उस टैक्स का क्या होगा?

श्री उपत्रमापति : ग्रव ग्रापका भाषण लच के बाद होगा।

There is one Special Mention by Shri

## REFERENCE TO THE INADEQUATE SUPPLY OF RICE FROM THE CENTRAL POOL TO KERALA

SHRI M. M. JACOB (Kerala): Mr. Deputy Chairman, Sir, I am very happy that you granted me time. I draw the attention of the Government through you, Sir, to a special situation existing in Kerala because of the non-availability of adequate quantities of rise.

Sir, Onam festival is the national festival as far as Kerala is concerned. The speciality about the Onara is that during the Onam days, there should be full meal to everybody even if one is poor. Sir, we used to get a supply of ration of 1,35,000 tonnes every month. During the last few months, the supply from the Central Pool is substantially reduce. So one request is to resume the supply of the original 135,000 tonnes from now onwards because monsoon has also set in and it is a period of lean months and people are finding it difficult. Sir, t'.f:il',ernate source of our food was from the neighbouring States— Andhra Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka. And Tamil Nadu is also facing difficulties.

Andhra Pradesh and Karnataka have sealed their borders. So, no free movement of rice to KeTala is coming. That is a handicap for the free market operations. From the Central pool for inter-State purchase the Government of Kerala Has asked for permission and your Government was kind enough to give permission from Haryana and Andhra Pradesh for a smaller amount. But our requirement at the rate of 12 ounces per person per day comes to 2.20 lakh tonnes. The gap is 60 oer cent and 40 per cent is our production. So, we want more facilities to" purchase from other States. The Food Corporation of India is having only 1.16 lakh tonnes as buffer stock in Kerala. That buffer stock must re raised to at least four lakh tonnes to avoid any difficulties.

Sir. I want to mention one more point about this. The Reserve Bank is the credit giving agency for purchasing inter-State foodgrains. But, at the same time, the Reserve Bank has imposed a restriction of 18 per cent interest on such kind of food purchases from other Slates. That is a very hard thing. I request that some steps must be taken to reduce the interst rate from 18 per cent to a token of 4 per cent or sometlfing like that so that Kerala n-way not starve at this time.

श्री उपसमापति : सदन की कार्य-वाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

> The House then adjourned for lunch at two minules past one of the clock

The House reassembled after lunch at six minutes past two of the clock,

Mr. Deputy Chairman; In the Chair-